

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 नवम्बर 2020 — कार्तिक 12, शक 1942

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-2/2020/34-2.— मंत्रिपरिषद् दिनांक 26-10-2020 (आयटम क्रमांक-32.7) में पारित निर्णय अनुसार राज्य शासन, एतद् द्वारा -

- (1) मंत्रिपरिषद् आदेश (आयटम क्रमांक-29.21) दिनांक 14 जुलाई, 2020 को निरस्त किया जाता है।
 - (2) रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) दिनांक 19-06-2020 को निरस्त किया जाता है तथा इसके अंतर्गत किये गये कार्यों को भी निरस्त किया जाता है।
 - (3) इस संबंध में अन्य निर्णय लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाता है।
2. उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

1133